बिहार सरकार

समाहरणालय, अरवल

ई-मेल–dm-arwal.bih@nic.in   वेबसाइट - arwal.bih.nic.in   दूरभाष /फैक्स - 06337-228988

पत्रांक-   दिनांक -

आदेश

कार्यालय आदेश ज्ञापांक 656/गो0 दिनांक 13.05.2020 द्वारा वाहन कोषांग में दो सेक्शन बल की प्रतिनियुक्ति करने का निदेश **परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, अरवल** को दिया गया है। परिचारी प्रवर द्वारा अभी तक पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की गयी है।

वाहन कोषांग से प्रखंड कोरोन्टाईन कैम्प भेजे जाने के क्रम में यात्रियों द्वारा वाहन से भागने का प्रयास किया जाता है अथवा वाहन चालक पर अन्यत्र जगह वाहन ले जाने हेतु दबाव दिया जाता है। यह स्थिति अवांछनीय है तथा इससे कभी भी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जो प्रशासन के लिए अवांछनीय होगी। **उक्त के आलोक में आदेश निम्नवत् हैं :–**

1. **नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग** कोरोन्टाईन कैम्प में पहुँचाने हेतु वाहन खुलने के पूर्व संबंधित थाना को दूरभाष पर सूचना देंगें।
2. **संबंधित थानाध्यक्ष** का दायित्व होगा कि वाहन कोषांग से वाहन खुलने संबंधित सूचना प्राप्त होने पर चालक का नाम एवं सम्पर्क संख्या नोट कर लेंगें एवं उक्त वाहन को ट्रैक कर अपने सीमा क्षेत्र में पहूँचने पर स्कॉट करेंगें तथा उसे स्कॉट की अभिरक्षा में कोरेन्टाईन कैंम्प तक पहुँचायेंगे।
3. **थानाध्यक्ष, अरवल** स्कॉट तैयार अवस्था में रखेंगें तथा उसे वाहन कोषांग के लिए स्पष्ट रूप से नामित करेंगें तथा उक्त स्कॉट का सम्पर्क संख्या वाहन कोषांग को उपलब्ध करायेंगें ताकि वाहन कोषांग द्वारा भी सीधे तौर पर उक्त स्कॉट से सम्पर्क स्थापित कर सकेगें।
4. **परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, अरवल** पूर्व आदेश का अनुपालन कराते हुए वाहन कोषांग, अरवल में तुरंत पुलिस बल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगें।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
अरवल।

ज्ञापांक : 661 **/गो0**   **अरवल**   **दिनांक** 14/05/**2020।**

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अपर समाहर्ता, अरवल एवं उप विकास आयुक्त, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : नोडल पदाधिकारी, वाहन कोषांग/प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष/प्रभारी पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल एवं जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, अरवल एवं थाना/ओ0पी0 अध्यक्ष अरवल जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि : सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/5/2020

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

E:\Mukesh\GP Arwal\2020\Corona\Order 051.doc